कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3(12)2024–25 / कार्मिक / प्रमुवसं / अध्ययन–10623

निमित,

समस्त वनाधिकारी।

विषय :– वर्ष 2024–25 में अध्ययन स्वीकृति बाबत।

महोदय / महोदया,

राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम 17 में उल्लेख है कि कोई सेवारत सरकारी कर्मचारी हो, **संबंधित विभागाध्यक्ष** की पूर्व अनुमति के बिना; किसी शिक्षण संस्थान में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से प्रवेश नहीं लेगा, ना उपस्थित होगा ना ही और ऐसी परीक्षा में सम्मिलित होगा।

राजस्थान सेवा नियमों के भाग–2 के परिशिष्ठ 14 में विभागाध्यक्षों की सूची दी गई है एवं वित्त विभाग (नियम) के आदेश क्रमांक एफ.1(10)एफ.डी.(रूल्स) / 08 दिनांक 09 सित्मबर 2014 के द्वारा

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, नदी घाटी परियोजना, कोटा।
4. मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

को राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है।

अतः अध्ययन स्वीकृति हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि :–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर, मुख्य वन संरक्षक, नदी घाटी परियोजना कोटा, मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर एवं मुख्य वन संरक्षक, कोटा अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में पदस्थापित राजसेवक के नियमानुसार अध्ययन स्वीकृति अपने स्तर से जारी करेगे।
2. बिन्दु 1 में उल्लेखित कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य कार्यालयों में पदस्थापित राजसेवकों के वर्ष 2023–24 अध्ययन स्वीकृति हेतु संबंधित मुख्य वन संरक्षक / कार्यालयाध्यक्ष संलग्न आवेदन पत्र में समस्त प्रविष्टियां पूर्ण अंकित करवाकर कार्मिक (क–3 / जांच) विभाग के परिपत्र प. 9 (5)(30) कार्मिक / क–3 / जांच / 2004 दिनांक 18.11.2006 में उल्लेखित शर्तों के क्रम में अपनी टिप्पणी सहित प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.2024 तक इस कार्यालय में **संकलित रूप** से निम्न प्रपत्र में भिजवाना सुनिश्चित करें–

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	कर्मचारी का नाम	पदनाम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय / बोर्ड / संस्था का नाम
1	2	3	4	5	6

3. विज्ञान संवर्ग की परीक्षाओं की अनुमति चाहने वाले कर्मचारियों के आवेदन पत्र अग्रेषित न करें, क्योंकि उन्हें प्रायोगिक परीक्षा / अध्ययन के लिए अतिरिक्त अवकाश की आवश्यकता होती हैं। राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं विश्व विद्यालय से संबंध आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु आवेदन अग्रेषित किया जावें।
4. राजसेवक द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्था को किए गए आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना सुनिश्चित करें।
5. इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ. 4 (2)88–89 / कार्मिक / प्रमुवसं / 6091 दिनांक 04.03.1991 के क्रम में प्रतियोगी परीक्षा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने / बैठने / साक्षात्कार में उपस्थित होने आदि की स्वीकृति / अनापत्ति प्रमाण–पत्र संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त की जावेगी।

संलग्नः– आवेदन पत्र एवं परिपत्र दिनांक 18.11.2006

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 3(12)2024–25 / कार्मिक / प्रमुवसं / अध्ययन–10623

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप वन संरक्षक सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
2. रक्षित पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

वर्ष 2024–25 अध्ययन स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र

1. परीक्षा का विवरण जिसमें सम्मिलित होने की स्वीकृति चाही हो	
(अ) परीक्षा का नाम :–	
(ब) बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्था का नाम :–	
(स) सत्र :–	
(द) नियमित / स्वयंपाठी :–	
2. कर्मचारी का नाम :–	
3. कर्मचारी का पद मय कार्यालय :–	
(अ) पद :–	
(ब) कार्यालय का नाम :–	
4. जन्म तिथि (सेवा रिकार्ड के अनुसार) :–	
5. राज्य सेवा में नियुक्ति का विवरण :–	
(अ) संवर्ग का नाम :–	
(ब) प्रथम नियुक्ति पद :–	
(स) प्रथम नियुक्ति तिथि :–	
(द) वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि :–	
(य) नियुक्ति का माध्यम (सीधी भर्ती / अनु. नियुक्ति / अन्य) :–	
6. सेवा में स्थाई अथवा अस्थाई :–	
7. वर्तमान में प्राप्त शैक्षणिक योग्यता का विवरण :–	
(अ) नियुक्ति के समय शैक्षणिक योग्यता :–	
(ब) नियुक्ति के बाद शैक्षणिक योग्यता :–	

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण तिथि / वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय / संस्था जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण की	प्राप्त श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत	प्रयासों की संख्या	विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त स्वीकृति का कमांक व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये विवरण, मेरी सर्वोच्च जानकारी और विश्वास अनुसार, सही हैं। यदि उपरोक्त विवरण कार्यालय द्वारा गलत पाये जाते है तो मेरी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावें एवं मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें।

दिनांक :

प्रार्थी के हस्ताक्षर
पद
कार्यालय का नाम

कार्यालय ....

क्रमांक : दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....इस कार्यालय मे कार्यरत .... के पद पर अस्थाई/स्थाई रूप में दिनांक...................से कार्यरत है। इस आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की जांच सेवा रिकार्ड से करली गई है। इनके द्वारा उक्त परीक्षा में प्रवेश/सम्मिलित होने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। उक्त आवेदन पत्र अग्रेषित करने से पूर्व विभाग/राज्य सरकार द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देशों को मध्य नजर रखा गया है।

हस्ताक्षर अग्रेषित अधिकारी
नाम पद मोहर

नोटः–

(अ) आवेदन पत्र में समस्त प्रविष्ठियां स्पष्ट एवं पूर्णरूप में अंकित की जावे।

(ब) निश्चित तिथि के बाद आने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा यह स्वयं ही निरस्त समझे जावेगें।

(स) कार्यालयाध्यक्ष आवेदन–पत्र अग्रेषित करते समय सरकार द्वारा प्रचलित नियमों का अवश्य ध्यान रखे।

(द) राजसेवक द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था को किए गए आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना सुनिश्चित करें।

(य) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु आवेदन पत्र अग्रेषित किए जाए।

Document certified by ARIJIT BANERJEE <ariban@gmail.com>.

Digitally Signed by ARIJIT BANERJEE
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date :29-08-2024 07:13:59

RajKaj Ref No.: 10062822